भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1067
दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय छात्रों पर अमरीकी प्रतिबंधों का प्रभाव

1067. **श्री असादुद्दीन ओवैसीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है;
(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान छात्र वीज़ा पर संयुक्त राज्य अमरीका गए भारतीय छात्रों की संख्या कितनी है।

(ग) क्या सरकार को अमरीकी अधिकारियों द्वारा छात्र वीज़ा जारी करने पर हाल ही में लगाए गए प्रतिबंधों और हार्वर्ड जैसे संस्थानों पर विदेशी छात्रों को प्रवेश देने के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों की जानकारी है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिबंधों का भारतीय छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से जो पहले से ही नामांकित हैं या उच्च शिक्षा के लिए यात्रा करने की योजना बना रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार प्रभावित भारतीय छात्रों की चिंताओं का समाधान करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ कोई राजनयिक वार्ता कर रही है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमरीका में अध्ययन करने की योजना बना रहे भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से च**)** यूएस डिपार्टमेन्ट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा जारी जून **2025** सेविस मैपिंग पूल डेटा के अनुसार**,** संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न समय अवधि के विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों **(**प्राथमिक**,** माध्यमिक**,** अन्य व्यावसायिक**,** हाई स्कूल**,** भाषा प्रशिक्षण**,** फ्लाइट स्कूल**,** एसोसिएट**,** स्नातक**,** मास्टर**,** डॉक्टरेट**,** और अन्य**)** में कुल **372,424** भारतीय नागरिक अध्ययन कर रहे हैं।

यूएस डिपार्टमेन्ट ऑफ स्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार**,** पिछले पांच वर्षों में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भारतीय नागरिकों को अमेरिकी राजदूतावास और भारत स्थित उसके कोंसलावासों द्वारा जारी किए गए छात्र वीजाओं की संख्या इस प्रकार है**:**

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
20,628	85,385	126,431	143,811	99,169

अप्रैल **2025** में, अमेरिका में कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसमें उनके सेविस या छात्र एवं आगंतुक सूचना प्रणाली के आदान-प्रदान रिकॉर्ड को समाप्त कर दिया गया तथा उन्हें एक ईमेल भेजा गया जिसमें बताया गया कि उनका छात्र वीजा रद्द कर दिया गया है, जिससे उन्हें निर्वासन की कार्यवाही का खतरा है।

अमेरिका में भारतीय राजदूतावास और भारतीय कोंसलावासों को अमेरिका में भारतीय छात्रों से उनके छात्र वीज़ा रद्द करने और/या उनके सेविस रिकॉर्ड समाप्त करने के संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए। कुछ छात्रों को उनकी वैध स्थिति समाप्त होने की सूचना के साथ ही स्व-निर्वासन का सुझाव भी दिया गया। कुछ छात्रों ने स्वेच्छा से अमेरिकी सरकार को सूचित करने और स्व-निर्वासन के लिए सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) होम ऐप का उपयोग किया ताकि भविष्य में उन्हें कानूनी रूप से अमेरिका लौटने का अवसर मिल सके।

कई अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने अपने छात्र वीज़ा रद्द किए जाने और अपने सेविस रिकॉर्ड रद्द किए जाने को चुनौती दी और अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें उचित प्रक्रिया से वंचित रखा गया और ये वीज़ा रद्द करना गैरकानूनी था। हालाँकि, मई **2025** की शुरुआत में, एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए, अमेरिकी सरकार ने उन अंतरराष्ट्रीय छात्रों और हाल ही में स्नातक हुए छात्रों के लिए ऐसे हज़ारों वीज़ा को बहाल कर दिए जिनकी वैध स्थिति अचानक रद्द कर दी गई थी। वीज़ा की बहाली से कई प्रभावित छात्रों को अस्थायी राहत मिली।

अमेरिकी प्रशासन ने तब से वीज़ा समाप्ति के लिए एक नई नीतिगत रूपरेखा पेश करने की योजना का संकेत दिया है जिसमें संभवतः राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों या प्रशासन के प्रति शत्रुतापूर्ण माने जाने वाले कार्यों में भागीदारी को शामिल करके, वीज़ा रद्द करने के आधार का विस्तार किया जा सकता है। चल रही कानूनी लड़ाइयों और बदलती नीतियों के बीच, ऐसी अनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय को प्रभावित कर रही है और अमेरिका में अध्ययन करने के लिए विचार करने वाले छात्रों पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है।

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी राजदूतावास ने जून **2025** की एक परामर्शी में बताया कि छात्र वीज़ा मिलने से किसी छात्र के अमेरिका में निरंतर प्रवास की गारंटी नहीं मिलती है। उन्होंने पुष्टि की कि वीज़ा की निगरानी अनुमोदन के बाद भी जारी रहती है और नियम तोड़ने पर वीज़ा रद्द और निर्वासित किया जा सकता है। विद्यालय/विश्वविद्यालय को सूचित किए बिना कक्षा छोड़ना या पाठ्यक्रम छोड़ने; बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने, तेज़ गति या पार्किंग उल्लंघन के लिए चालान कटने जैसे छोटे-मोटे उल्लंघन; राजनीतिक सक्रियता या विरोध प्रदर्शन में शामिल होने; या छात्र वीज़ा की वैधता से अधिक समय तक रुकने के परिणाम स्वरूप संबंधित छात्र के वीज़ा को रद्द किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिकी वीज़ा देने से भी इनकार किया जा सकता है।

दिनांक **18** जून **2025** को, अमेरिकी विदेश विभाग ने 'वीज़ा आवेदकों के लिए विस्तारित जाँच और जाँच की घोषणा' शीर्षक से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उक्त प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि अमेरिका अपनी वीज़ा जाँच और विविक्षा प्रक्रिया में सभी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों के साथ-साथ, उन वीज़ा आवेदकों की पहचान करने के लिए करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अस्वीकार्य हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत, अमेरिका एक व्यापक और गहन जाँच करेगा जिसमें एफ, एम और जे गैर-आप्रवासी वर्गीकरण में सभी छात्र और आगंतुक

आवेदकों के आदान-प्रदान की ऑनलाइन उपस्थिति शामिल है। इस जाँच को सुविधाजनक बनाने के लिए, अमेरिका ने सभी आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर गोपनीयता सेटिंग्स को "सार्वजनिक" में समायोजित करने की आवश्यकता बताई है। नए अमेरिकी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक वीज़ा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित निर्णय होता है और सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे मांगे गए वीज़ा के लिए अपनी पात्रता को विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत करें, जिसमें यह भी शामिल है कि वे अपने प्रवेश की शर्तों के अनुरूप कार्यकलापों में संलग्न होने की इच्छा रखते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि वीज़ा जारी करना और उससे जुड़ी नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ संबंधित राज्य का संप्रभु विशेषाधिकार हैं। तथापि, भारत सरकार भारतीय छात्रों के समक्ष आने वाले सभी मुद्दों को विभिन्न स्तरों पर अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष नियमित रूप से उठाती रही है। विदेश मंत्रालय पारस्परिक रूप से लाभप्रद और सुरक्षित गतिशीलता ढाँचों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है, जिससे छात्रों और पेशेवरों की कानूनी गतिशीलता के लिए रास्ते सुगम हो सकें, अल्पकालिक पर्यटन और व्यावसायिक यात्राओं को सुगम बनाया जा सके, साथ ही अवैध आप्रवासन और मानव तस्करी से निपटने के लिए बुरे तत्वों, आपराधिक गतिविधियों में सहायता देने वाले और अवैध आप्रवासन नेटवर्क के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके।

*****